

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020

Act 5 of 2020

Amendments appended: 16 of 2020, 24 of 2020, 40 of 2021, 11 of 2022, 14 of 2023, 19 of 2023

16 of 2024, 17 of 2024, 8 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2020

फाल्गुन 22, 1941 शक सम्वत्

__ उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 415/79-वि-1–20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020

अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 11 मार्च, 2020 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (4) में, शब्द "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् शब्द "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

- 3-मूल अधिनियम की धारा 10 में.-
- (क) उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 1—द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

- (ख) उपधारा (2) में,-
 - (i) खंड (घ) के अंत में आने वाले शब्द "और" को निकाल दिया जायेगा;
- (ii) खण्ड (ङ) में शब्द "अधिसूचित किया जाए;" के स्थान पर शब्द "अधिसूचित किया जाए; और" रख दिये जाएंगे;
 - (iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-
- "(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";
 - (ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--
- "(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—
- (क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर कें लिये उद्ग्रहणीय नहीं हैं;
 - (ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है,
- (ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;
- (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, और
- (ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन योजना का तब तक के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं";

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)," दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर यथास्थिति "उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे,

- (ङ) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क) बढ़ा दिये जायेंगे;
- (च) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे;
- (छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 1—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पद "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की आपूर्तियां सम्मिलित होंगी जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी बन जाता है, किन्तु इसमें सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, पद "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्ः—

- (i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की पूर्तियां, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और
- (ii) सेवाओं की ऐसी करमुक्त पूर्ति, जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हो और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।"

4—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

धारा 22 का संशोधन

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति में लगा हुआ है जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।"

5—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 25 का संशोधन

'(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किये जाने वाले प्ररूप और रीति में तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सत्यापन कराये जाने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध, इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां किसी व्यष्टि को, आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रिजस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(६घ) उपधारा (६क) या उपधारा (६ख) या उपधारा (६ग) के उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग के लिये लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "आधार सख्यांक" का वहीं अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसके लिए निर्दिष्ट है।"

6--मूल अधिनियम की धारा 31 के प्रश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :--

"31क—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग प्राप्तिकर्ता को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गयी माल या को डिजिटल सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय संवाय की का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और तद्नुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निबंधनों के, जो विहित

किए जाएं, अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

- (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:—
- "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

नई धारा 31क का बढाया जाना

धारा ३९ का संशोधन

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निबंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- (2) धारा 10 के उपबन्धों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।";
 - (ख) उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:--
- "(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा:

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किये गये इनपुट का प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा।

8—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 44 का संशोधन

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित कर संकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

. 9—मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— धारा 49 का संशोधन

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसी शतों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) में यथा उपबंधित रूप में उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"

धारा 50 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :- 🕆

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उदगृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकालकर किया गया है।"

धारा 52 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"

नई धारा 53-क का बढाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :--

"53क—जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर हेत्. इलेक्ट्रानिक का अंतरण नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाता या एकीकृत कर खाता या उपकर खाते को, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के समतुल्य रकम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी।"

धारा 54 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--

"(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण किया हो, वहां राज्य सरकार इस प्रकार प्रतिदायकृत रकम के समतुल्य रकम, केन्द्र सरकार को अंतरित करेगी।"

धारा 95 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 95 में,--

- (i) उपखंड (क) में-
- (क) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" रख दिये जाएंगे:

744_RPH_2020 Adhiniyam 5

- (ख) शब्द और अंक "धारा 100 की उपधारा (1)" के पश्चात शब्द, अंक और अक्षर "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" बढ़ा दिये जाएंगे;
 - (ii) उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:--
- "(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्रांधिकरण अभिप्रेत है।"

15-मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, नई धारा 101क, अर्थात:--

101ख और 101ग का बढ़ाया जाना

101क—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय के उपबंधों के, अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन विनिर्णय अपील गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्राधिकरण का अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा। गठन

101ख-(1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या प्राधिकरण को संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जिनमें ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किये जाने के तीस दिन की अविध के भीतर दाखिल की जाएगी:

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किये जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनिधक अग्रतर अविध के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संस्चित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारूप में होगी, जिसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

101ग-(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्रांधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्ट या उपांतरित करते हुये ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

- (2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- (4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात् यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।"

धारा 102 का संशोधन

- 16—मूल अधिनियम की धारा 102 में, प्रारम्भिक भाग में,—
- (क) शब्द "अपील प्राधिकरण" दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हों, के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;
- (ख) शब्द तथा अंक "या धारा 101" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 101ग" बढ़ा दिये जायेंगे;
- (ग) शब्द "या अपीलार्थी" के स्थान पर शब्द "अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" रख दिये जाएंगे। 17—मूल अधिनियम की धारा 103 में —

धारा 103 का संशोधन

- (i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-
- (1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा—
 - (क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति है, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा हो और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी लेखा संख्या हो;
 - (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के संबंध में संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी एक ही स्थायी लेखा संख्या हो।";
- (ii) उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "और उपधारा (1क)" बढ़ा दिये जाएंगे।
 18—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में,—

धारा 104 का संशोधन

- (क) शब्द "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;
- (ख) शब्द और अंक "धारा 101" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 101ग के अधीन" बढ़ा दिये जाएंगे। 19—मूल अधिनियम की धारा 105 में.—

धारा 105 का संशोधन

> (क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

- (ख) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे;
- (ग) उपधारा (2) में, शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे।

20-मूल अधिनियम की धारा 106 में,--

धारा 106 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) शब्द "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" बढ़ा दिये जाएंगे।

21-मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- धारा 171 का संशोधन

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जाँच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु यह कि ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुनाफाखोरी" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।

उत्तरं प्रदेश अध्यादेश संख्या १ सन् २०२० 22—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2—उक्त अधिनियम में नये माल और सेवाकर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सुगम संक्रमण के लिये कितपय उपबंधों की व्यवस्था है। तथापि नयी कर व्यवस्था में कितपय किठनाइयाँ उत्पन्न हुईं। लघु एवं मध्यम करदाताओं को हुई एक प्रमुख असुविधा, माल और सेवाकर विधियों के अधीन कर विवरणी दाखिल करने तथा उसका संदाय करने की प्रक्रिया थी। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित विवरणी दाखिल करने की नयी प्रणाली में प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प लेने वाले करदाताओं द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना एवं त्रैमासिक कर संदाय किया जाना तथा कितपय श्रेणी के करदाताओं के लिए त्रैमासिक विवरणी

दाखिल किया जाना एवं मासिक कर संदाय की व्यवस्था किया जाना परिकित्पत है। उपर्युक्त विवरणी दाखिल करने की प्रणाली को क्रियान्वित करने तथा अन्य किठनाइयों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

- 3—प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्ध हैं :--
 - (1) "न्याय निर्णयन प्राधिकारी" की परिभाषा में "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (4) में संशोधन करना।
 - (2) सेवाओं के पूर्तिकारों या मिश्रित पूर्तिकारों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक प्रशमन स्कीम का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करना।
 - (3) माल की पूर्ति में अनन्य रूप से लगे पूर्तिकारों के मामले में बीस लाख रुपए से अनिधक चालीस लाख रुपए तक उच्चतर अवसीमा छूट का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करना।
 - (4) उक्त अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण चाहने वाले या ले चुके व्यक्तियों के लिए आज्ञापक रूप से आधार प्रस्तुत करने या उनके अधिप्रमाणन हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करना।
 - (5) यह उपबंध करने के लिए कि पूर्तिकर्ता अपने प्राप्तकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा आज्ञापक रूप से उपलब्ध करायेगा, उक्त अधिनियम में नई धारा 31क का बढ़ाया जाना।
 - (6) प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प लेने वाले करदाताओं द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने और त्रैमासिक कर संदाय किये जाने का उपबंध करने के लिए तथा कतिपय अन्य श्रेणी के कर दाताओं हेतु त्रैमासिक विवरणी के विकल्प और मासिक कर संदाय का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 में संशोधन करना।
 - (7) वार्षिक विवरणी तथा समाधान विवरण प्रस्तुत करने हेतु नियत दिनांक को बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करना।
 - (8) इलेक्ट्रानिक नकद बही में किसी एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में किसी धनराशि का अंतरण करने की करदाता को सुविधा का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 49 में संशोधन करना।
 - (9) अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के मामले को छोड़ कर शुद्ध नकद कर देयता पर ही ब्याज प्रभारित करने का उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 50 में संशोधन करना।
 - (10) स्रोत पर कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिकं विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को बढ़ाने हेतु आयुक्त को सशक्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 52 में संशोधन करना।
 - (11) केन्द्र और राज्यों के मध्य इलेक्ट्रानिक नकद बही में धनराशि अंतरण हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम में नई धारा 53क का बढ़ाया जाना।
 - (12) राज्य करों के प्रतिदाय के सम्बन्ध में भी करदाताओं को प्रतिदाय धनराशि का वितरण करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करना।
 - (13) "अग्रिम विनिर्णय" की परिभाषा में "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 95 के खण्ड (क) में संशोधन करना और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को परिभाषित करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 95 में खण्डें (च) का बढ़ाया जाना।

- (14) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अंगीकार करने हेतु उक्त अधिनियम में नई धाराओं क्रमशः 101क, 101ख और 101ग का बढ़ाया जाना जिससे कि उक्त प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने एवं उसकी प्रक्रिया का उपबन्ध किया जा सके और यह उपबन्ध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण अपील फाइल किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित, करेगा, और यह भी उपबन्ध किया जा सके कि जहाँ सदस्य किसी बिन्दु पर भिन्न हों वहाँ विनिश्चय बहुतम द्वारा किया जायेगा।
- (15) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपने अग्रिम विनिर्णय में सुधार करने के लिए उसे संशक्त करने हेतु उक्त धारा 102 की परिधि के भीतर उसे लाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करना।
- (16) उक्त अधिनियम की धारा 103 में यह उपबंध करने के लिये संशोधन करना कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय भिन्न-भिन्न व्यक्ति होते हुए आवेदकों और एक ही स्थायी खाता संख्या धारक रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों और उक्त आवेदक के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों या अधिकारिता वाले अधिकारियों तथा एक ही स्थायी खाता संख्या धारक रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह भी उपबंध है कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन न हो।
- (17) इस धारा के अधीन उपबंध के प्रयोजनार्थ अपील प्राधिकरण के साथ-साथ राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को भी अंगीकृत करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 104 में संशोधन करना।
- (18) यह उपबंध करने के लिए कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होंगी, उक्त अधिनियम की धारा 105 में संशोधन करना।
- (19) यह उपबंध करने के लिये कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, उक्त अधिनियम की धारा 106 में संशोधन करना।
- (20) मुनाफाखोरी की धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिनियम की धारा 171 की उपधारी (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को सशक्त करने हेतु उसमें नई उपधारा (2क) बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 171 में संशोधन करना।
- 4—चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 1 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

5-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।

No. 415(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-1-2020

Dated Lucknow, March 12, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 5 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ÁΝ

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.
- (2) The provisions of sections 3,4,5,6,8,9,11,12 and 21 of this Act shall be deemed to have come into force with effect to the 1st January, 2020 and provisions of sections 2,7,10,13,14,15,16,17,18,19 and 20 of this Act shall come into force at such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 hereinafter referred as the principal Act, in clause (4) after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

Amendment of section 10

- 3. In section 10 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (1) after the second proviso the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a State.";

- (b) in sub-section (2),—
- (i) in clause (d), the word. "and" occurring at the end shall be omitted;
- (ii) in clause (e), for the word "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;
 - (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";
- (c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
- "(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not—
- (a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

- (b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;
- (c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52:
- (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
 - (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

- (d) in sub-section (3), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)" at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;
- (e) in sub-section (4), after the words, brackets and figure "of sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, sub-section (2A)" shall be inserted;
- (f) in sub-section (5), after the words, brackets and figure "under sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;
- (g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:—

"Explanation 1.— For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person to the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.— For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State or turnover in Union territory, shall not include the value of following supplies, namely:—

- (i) supplies to the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".
- 4. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso and explanation shall be inserted, namely:—

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

Amendment of section 22

Amendment of section 25

- 5. In section 25 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:—
 - "(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendation of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or any State or part thereof, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016."

Insertion of new section 31A

- 6. After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of Facility of digital payment to recipient recipient recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed."

7. In section 39 of the principal Act,—

Amendment of section 39

- (a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
- "(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

- (2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.";
- (b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government the tax due taking into account turnover in the State inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed."

8. In section 44 of the principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be *inserted*, namely:—

Amendment of section 44

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

- 9. In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:—
 - "(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act. to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess, in such and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.
 - (11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

Amendment of section 49

Amendment of section 50

10. In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

Amendment of section 52

- 11. In section 52 of the principal Act,—
 - (a) in sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

(b) in sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."

Insertion of new section 53A

12. After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"53A. Where any amount has been transferred from the electronic Transfer of certain amounts Central tax or integrated tax or cess, the Government shall, transfer to the Central tax account, or integrated tax account or cess account an amount equal to the amount transferred from the electronic

cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed."

Amendment of section 54

13. In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

Amendment of section 95

14. In section 95 of the principal Act,-

(i) in clause (a)-

- (a) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
- (b) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C" shall be inserted;
 - (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(f) 'National Appellate Authority' means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A."

new sections 101A, 101B and 101C 15. After section 101 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"101A. Subject to the provisions of this chapter, for the purposes of this Act,

Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling Constituted under section 101A of the Central Goods and Appellate Authority for Advance Ruling Authority for Advance Ruling under this Act.

101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section Appeal to the (2) of section 97, conflicting advance rulings are given by the National Appellate Authorities of two or more States or Union territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such advance ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the State in which such advance

rulings have been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation.— For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by

such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an Order of National opportunity of being heard to the applicant, the Appellate Authority officer authorised by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on

any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement."

16. In section 102 of the principal Act, in the opening portion,—

(a) after the words "Appellate Authority", at both the places where they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

- (b) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C, respectively," shall be inserted;
- (c) for the words "or the appellant", the words "appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

17. In section 103 of the principal Act,—

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) The advance ruling pronounced by the National Appellate Authority

under this Chapter shall be binding on-

- (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961;
- (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961."

Amendment of section 102

Amendment of section 103

(ii) in sub-section (2), after the words, brackets and figure "in sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be inserted.

Amendment of section 104

- 18. In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),—
- (a) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
- (b) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C" shall be inserted.

Amendment of section 105

- 19. In section 105 of the principal Act,-
- (a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

- (b) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;
- (c) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

Amendment of section 106

- 20. In section 106 of the principal Act,-
- (a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority";

(b) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

Amendment of section 171

- 21. In section 171 of the principal Act, after sub-section (3), the following Amendment shall be inserted, namely:—
 - "(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both."

Repeal and saving

22. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

Ordinance no. 1 of

2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision to levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

- 2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the major inconveniences caused to the small and medium tax payers was the process of filing return and payment of tax under the Goods and Service Tax laws. In this regard the purposed new return filing system envisages annually filing of return and quarterly payment of tax by tax payer who opts for composition levy and quarterly filing of return and monthly payment of tax for certain category of taxpayers. In order to implement above return filing system and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act.
- 3. The proposed Uttar Pradesh Goods and Service Tax (Amendment) Bill, 2020, inter alia, provides for,-
 - (1) amending clause (4) of section 2 of the said Act to include "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "adjudicating authority".
 - (2) amending section 10 of the said Act to provide alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers having an annual turnover in preceding financial year up to rupees fifty lakhs.
 - (3) amending section 22 of the said Act to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakhs to such amount not exceeding rupees forty lakhs in case of supplier exclusively engaged in the supply of goods.
 - (4) amending section 25 of the said Act to provide for mandatory Aadhaar submission or authentication for persons intending to take or have taken registration under the said Act.
 - (5) inserting new section 31A in the said Act to provide that supplier shall mandatorily offer facility for digital payments to his recipient.
 - (6) amending section 39 of the said Act to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly return and monthly payments of tax.
 - (7) amending section 44 of the said Act to empower the commissioner to extend the due date for furnishing annual return and reconciliation statement.
 - (8) amending section 49 of the said Act to provide facility to the tax payer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger.
 - (9) amending section 50 of the said Act to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in cases of initiation of any proceeding under section 73 or 74 of the Act.
 - (10) amending section 52 of the said Act to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of monthly and annual statement by the person collecting tax at source.
 - (11) insertion of new section 53A in the said Act to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between the Centre and States.
 - (12) amending section 54 of the said Act to empower the Central Government to disburse refund amount to the tax payers in respect of refund of State taxes also.
 - (13) amending clause (a) of section 95 of the said Act to include "the National Appellate Authority for advance Ruling" in the definition of "advance ruling" and to insert clause (f) in section 95 of said Act to define "National Appellate Authority".
 - (14) insertion of new sections 101A, 101B and 101C in the said Act respectively to adopt the National Authority for advance Ruling constituted under section 101A of Central Goods and Services Tax Act, to provide for filing of appeals and the procedure before said authority and to provide that the National Appellate Authority shall pass order within a period of ninety days from

the date of filing of the appeals. It also provide that where the members differ on any point, it shall be decided by majority.

- (15) amending section 102 of the said Act to bring the National Appellate Authority within the ambit of that section to empower it to rectify its advance ruling.
- (16) amending section 103 of the said Act to provide that the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding on the applicants, being distinct persons and registered persons having the same Permanent Account Number and on the concerned officers or the jurisdictional officers in respect of the said applicant and the registered persons having the same Permanent Account Number. It also provides that the ruling shall be binding unless there is a change in law or facts.
- (17) amending section 104 of the said Act to adopt the National Appellate Authority along with Appellate Authority for the purposes of provision under this section.
- (18) amending section 105 of the said Act to provide that the National Appellate Authority shall have all the power of civil court under the code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of exercising its powers under the Act.
- (19) amending section 106 of the said Act to provide that the National Appellate Authority shall have power to regulate its own procedure.
- (20) amending section 171 of the said. Act to insert new sub-section (2A) therein to empower the Authority specified under sub-section (2) thereof to impose penalty equivalent to ten per cent of the profiteered amount.
- 4. Since the State legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 1 of 2020) was promulgated by the Governor on January 27, 2020.
 - 5. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 744 राजपत्र-(हि०)-2020-(1772)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 159 सा० विधायी-2020-(1773)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर /टी०/ऑफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विघायी अनुभाग–1

संख्या 1574 / 79-वि-1-20-1(क)-19-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2020) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के

लिए

 \mathbf{C}

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2020 कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 में नई धारा 168क का बढ़ाया जाना 2--उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"168क—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् विशेष परिस्थितियों की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य में समय बढ़ाने की घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, अथवा जिनका सरकार की शक्ति अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सिम्मिलत होगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।"

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अतः राज्यीय प्रूर्ति पर कर उदग्रहण एवं संग्रहण का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2—कोविड—19 के कारण लॉक—डाउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली किठनाइयों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 में उक्त अधिनियम सन् 2017 की धारा 168 के पश्चात् एक नई धारा 168 के बढ़ाये जाने का उपबंध किया गया है, जो सरकार को, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित्त अथवा अधिसूचित समय—सीमा में वृद्धि करने की शिक्त प्रदान करती है।

3—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वियत करने के लिये तुरन्त विधायी , कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

4-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-11, प्रमुख सचिव।

No. 1574(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-19-20 Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Raiya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 16 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020;

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.
- 2. After section 168 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of new section 168A in U.P. Act no. 1 of

·-Power of Government to extend time in special circumstances

"168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on recommendations of the council, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation:-For the purpose of this section the expression 'force majeure' means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

U. P. Ordinance no. 7 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, the proposesd Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2020 provides for insertion of a new section 168A after section 168 of the said Act, 2017, which empowers the Government by notification, even retrospectively not earlier than the date of commencement of this Act, to extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

- 3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 7 of 2020) was promulgated by the Governor on April 22, 2020.
 - 4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, .
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 183 राजपत्र-2020-(548)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 141 सा० विधायी-2020-(549)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

माद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुमाग–1

संख्या 1573 / 79-वि-1—20-1(क)-27-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2020 कहा जायेगा;
- (2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

लिए

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या । सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (114) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव;

(घ) लददाख";

धारा 10 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द "माल" के पश्चात शब्द "या सेवाओं" बढा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) में, शब्द "से सम्बन्धित बीजक" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रिजस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है"।

धारा 30 को संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

''परन्तू यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण . अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,-

- (क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक 'तीस दिन की अवधि के लिये,
- (ख) अपर आयुक्त ग्रेड-एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये"।

धारा 31 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

- (क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;
- (ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में,-
 - (i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा: या
- (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।" 8-मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

धारा 51 का संशोधन

- - (क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--
- "(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।";
 - (ख) उपधारा (४) निकाल दी जायेगी।

धारा 122 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपविचत कर या उपभुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।"

10-मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,-

धारा 132 का संशोधन

- (i) शब्द ''जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है'', के स्थान पर शब्द ''जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है'' रख दिये जायेंगे;
 - (ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--
- "(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है";
- (iii) खण्ड (ङ) में शब्द, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति'' को निकाल दिया जाएगा।

11-मूल अधिनियम की धारा 140 में, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से -

धारा 140 का संशोधन

- (i) उपधारा (1) में, शब्द ''विद्यमान विधि के अधीन'' के पश्चात्, शब्द ''तथा ऐसी समयाविध के भीतर और'' बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे:
- (ii) उपधारा (2) में, शब्द "नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन" के पश्चात्, शब्द "तथा ऐसी समयाविध के भीतर" बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे:
- (iii) उपधारा (3) में, शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये" के स्थान पर शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयाविध के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;
- (iv) उपधारा (5) में, शब्द "विद्यमान विधि" के स्थान पद शब्द "विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयाविध के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;
- (v) उपधारा (6) में, शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क" के स्थान पर शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश को सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयाविध के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, शब्द ''तीन वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''पाँच वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

धारा 172 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की अनुसूची—दो में, पैरा 4 में, उन दोनों स्थानों पर, जहाँ पर वे आये हों शब्द "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो" निकाल दिये जायेंगे और वे दिनांक 1 जुलाई, 2017 से निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची दो में संशोधन

निरसन और व्यावृत्ति

14—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2020, एतद्द्वांरा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम में नये माल और सेवा कर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सुगम संक्रमण के लिये कित्रिपय उपबंधों की व्यवस्था है, तथापि नयी कर व्यवस्था में कित्रपय कितनाइयाँ उत्पन्न हुई। स्वेच्छा से किये गये रिजस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने, रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने, कर बीजक जारी करने एवं स्रोत पर कर की कटौती करने के औचित्यपूर्ण उपबंध करने, कपटपूर्ण रूप से आई०टी०सी० प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित किये जाने, विद्यमान विधि में अवशेष आई०टी०सी० को जी०एस०टी० अवधि के लिये अग्रनीत करने तथा अन्य कितनाइयों को भी नियन्त्रित करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध करने के लिये संशोधन किया जाय :—

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन को अधिनियम में सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2(114) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) को प्रतिस्थापित किया जाना;
- (ख) सेवा पूर्तिकर्ता के लिये विनिर्दिष्ट समाधान योजना का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया जाना:
- (ग) सार्खपत्रों द्वारा आई०टी०सी० के अन्तरण को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 16(4) में संशोधन किया जाना;
- (घ) उक्त अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किन्तु रजिस्ट्रीकरण हेतु गैर उत्तरदायी व्यक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 29(1)(गं) में संशोधन किया जाना;
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;
- (च) कर बीजक जारी करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;
- (छ) स्रोत पर कर कटौती करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51(3) का संशोधन किया जाना तथा धारा 51(4) का निकाला जानों;
- (ज) कपट पूर्ण रूप से आई0टी0सी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 122(1) के पश्चात् नई उपधारा (1क) का बढ़ाया जाना;
- (झ) कपट पूर्ण रूप से आई0टी0सी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लामार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 132(1) में संशोधन किया जाना;
- (ञ) विद्यमान विधि में अवशेष आईoटीoसीo को जीoएसoटीo अविध के लिये अग्रनीत करने से संबंधित उपबंधों में किये गये परिवर्तनों को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 140 में संशोधन किया जाना;
- (ट) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करने की समय-सीमा बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 172(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;
- (ठ) अनुसूची-दो में किये गये परिवर्तनों को भूतलक्षी रूप से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में संशोधन किया जाना।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

, यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-॥, प्रमुख सचिव।

No. 1573(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-27-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Seva Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT)

ACT, 2020

(U.P. Act no. 24 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

. IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020.

Short title and commencement

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 2017

- "(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
- (d) Ladakh."
- 3. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.

Amendment of section 10

- 4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be *omitted*.
- Amendment of section 16
- 5. In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section 29

- "(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25."
- 6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

Amendment of section 30

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,-

- (a) by the Joint Commissioner (Executive), for a period not exceeding thirty days;
- (b) by the Additional Commissioner Grade-1, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)."

Amendment of section 31

7. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"provided that the Government may, on the recommendations of the council, by notification,-

- (a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;
- (b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which-
 - (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
 - (ii) tax invoice may not be issued."

Amendment of section 51

- 8. In section 51 of the principal Act,-
- (a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."
 - (b) sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of section 122

- 9. In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
- "(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."

Amendment of section 132

- 10. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),-
- (i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences" shall be substituted;
 - (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-
 - "(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill:"
- (iii) in clause (e), the words "fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

Amendment of section 140

- 11. In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,-
- (i) in sub-section (1), after the words "existing law", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
- (ii) in sub-section (2), after the words "appointed day", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
- (iii) in sub-section (3), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

- (iv) in sub-section (5), for the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (v) in sub-section (6), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.
- 12. In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

Amendment of section 172

13. In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not for a consideration", at both the places where they occur, shall be *omitted* and shall be deemed to have been *omitted* with effect from the 1st day of July, 2017.

Amendment to Schedule II

Repeal and saving 14. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) ordinance, 2020 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 15 of 2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act (U.P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision of levy and collection of tax on *intra-state* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

- 2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. To simplify to opt out of the registration voluntarily made, to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration, to make justified the provisions for issuing of tax invoice and deduction of tax on source, to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently, to carry forward the remaining ITC in existing law for period of GST and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act to provide for,-
 - (a) substituting sub-clause (c) and (d) of section 2 (114) of the said Act to include the reorganisation of Union teritories made by the Central Government in the Act;
 - (b) amending section 10 of the said Act to provide specific composition scheme for supplier of services;
 - (c) amending section 16(4) of the said Act to made justified the transfer of ITC by credit notes;
 - (d) amending section 29(1)(c) of the said Act to simplify to opt out of the registration, by person registered under section 22 or section 24 but not liable for registration and by person voluntarily registered under section 25(3) of the said Act;
 - (e) amending the proviso of section 30(1) of the said Act to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration;
 - (f) amending the proviso of section 31(2) of the said Act to make justified the provisions for issuing tax invoices;
 - (g) amending section 51(3) and deleting section 51(4) of the said Act to make justified the provisions for deduction of tax on source;
 - (h) inserting a new sub-section (1a) after section 122(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently;

- (i) amending section 132(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fradulently;
- (j) amending section 140 of the said Act to implement the changes made in provisions, relating to carry forward the remaining ITC in existing law for the period of GST, from 1 July, 2017;
- (k) amending the proviso of section 172(1) of the said Act to extend the time limit for empowering to remove diffculties;
- (l) amending Schedule II of the said Act to implement retrospectively the changes made in Schedule II.
- 3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 15 of 2020) was promulgated by the Governor on July 17, 2020.
 - 4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १९४ राजपत्र-2020-(570)-539 प्रतिया-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १५२ सा० विधायी-2020-(571)-300 प्रतिया-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। No. 1090(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-32-21 Dated Lucknow, December 27, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021 and to sale 1 stratest roofs and

(U.P. Act no. 40 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

to discuss of their series but one to further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax commencement (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this

Act.

507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e)

Amendment of section 7

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July 2017, namely:-

"(aa) the activities or transactions by a person other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;"

Amendment of section 16

Amendment of

section 35
Amendment of

section 44

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

4. In section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

f in principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

5. For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

Amendment of section 50

6. In section 50 of the principal Act, in sub-section (I), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely:-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger."

Amendment of section 74

7. In section 74 of the principal Act, in *Explanation* 1, in clause (ii), for the words and figures "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be *substituted*.

Amendment of section 75

8. In section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following Explanation shall be inserted, namely:-

Amendment of section 83

"Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.".

9. In section 83 of the principal Act, for sub-section (I), the following sub-

section shall be substituted, namely :-

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so do to, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed."

10. In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), the following

proviso shall be *inserted*, namely:—
"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant."

11. In section 129 of the principal Act,

Amendment of section 129

Amendment of section 107

It lies (i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), for the words "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted;

(v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

Amendment of section 130

- 12. In section 130 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (1), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the words "Where" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), in the second proviso, *for* the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be *substituted*;
 - (c) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 151

- 13. For section 151 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

Amendment of section 152

- 14. In section 152 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1),-
 - (i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted;
 - (ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted.
 - (b) sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of Schedule II 15. In Schedule II of the principal Act, paragraph 7 shall be *omitted* and shall be deemed to have been *omitted* with effect from the 1st day of July, 2017.

Repeal and Saving

16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax U.P. (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 8 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both, by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) vide the Finance Act, 2021 (Act no. 13 of 2021), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 28th March, 2021.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 8 of 2021) was promulgated by the Governor on 9th November, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order. ATUL SRIVASTAVA. Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ५०७ राजपन्न-२०२१-(११३९)-५९९ प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १४६ सा० विधायी-2021-(1140)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 आश्विन ७, 1944 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 497 / 79-वि-1—2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 **संक्षिप्त नाम और** कहा जायेगा। प्रारम्भ

- (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
 - (क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी।
- (ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसुचना द्वारा नियत करेः

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

- (क) उपधारा (2) में,--
 - (i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:
- "(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवंधित नहीं किया गया है;"
 - (ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

- 3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में,--
- (क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे:
- (ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छ्ह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन धारा 37 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

- (क) उपधारा (1) में, -
- (i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;
- (ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे:
 - (iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;
- (iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;
- (v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (2) निकाल दिया जाएगा;
- (ग) उपधारा (3) में,--
- (i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;
- (ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;
- (घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--
- "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अविध के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अविध के लिए जावक पूर्तियों का व्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का व्यौरा न दिया हो।"

6-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना

"38-(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पर्तियाँ और ऐसी अन्य पर्तियाँ, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपट कर प्रत्यय के व्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे .-
- (क) आवक पूर्तियों का व्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और
- (ख) पूर्तियों का व्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के व्योरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है.-
 - (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर: या
 - (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चुक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या
 - (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या
 - (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या
 - (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक की हो; या
 - (vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा।"

7-मल अधिनियम की धारा 39 में.-

- (क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;
- (ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा, -

- (क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हए देय कर के बराबर धनराशि; या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि;"
 - (ग) उपधारा (9) में, --
 - (i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा:
 - (ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जाएंगे:

धारा 39 का संशोधन

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का व्यौरा प्रस्तुत न किया हो।"

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना 8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:"41-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन,
इनपुट कर प्रत्यय अपनी कर विवरणी में स्वत: निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय
की प्राप्ति का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके
इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनःउपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है"।

धारा 42, 43 और 43क का निकाला जाना धारा 47 का संशोधन 9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी।

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, -

- (क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;
- (ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;
- (ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

धारा 49 का संशोधन 11-मूल अधिनियम की धारा 48 में,उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

- (क) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे:
 - (ग) उपधारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-
 - "(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।"

धारा 50 का संशोधन

- 13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थातु:-
- "(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनिधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

14-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे। धारा 52 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 54 में ,--

धारा 54 का संशोधन

- (क) उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररुप और" रख दिये जायेंगे;
- (ख) उप-धारा (2) में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे;
- (ग) उप-धारा (10) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (3) के अधीन" निकाल दिये जाएंगे;
- (घ) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-
- "(ख क) किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख"।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा या दोनों की अन्तःराज्यीय पूर्ति पर, कर का उद्गहण एवं संग्रहण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2--उक्त अधिनियम में विद्यमान करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु रूप से संक्रमण के लिए कितपय उपबंध किये गये हैं। तथापि नई कर व्यवस्था में कितपय किठनाइयों का सामना करना पड़ा था। लघु और मध्यम करदाताओं को हुयी बहुत सी असुविधाओं में से एक असुविधा माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी दाखिल करने और इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने की जिटल प्रक्रिया थी। इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों में निश्चितता और करदाताओं के लिए इनपुट कर प्रत्यय सत्यापन के दोतरफा संचार समाप्ति परिकल्पित की गई है। उपर्युक्त परिवर्तनों को क्रियान्वित करने तथा अन्य किठनाइयों को भी दूर करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करके उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 497 (2)/LXXIX-V-1-2022-1-ka-10-2022

Dated Lucknow, September 29, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2022

(U.P. Act No. 11 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislatlure]

AN

 ΔCT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.
 - (2) Save as otherwise provided in this Act,-
 - (a) Section 1 of this Act shall come into force with effect from 30th March, 2022:
- (b) The other provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint: Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.
- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,—
 - (a) in sub-section (2)—
 - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";
 - (ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be *omitted*;
 - (b) in sub-section (4), *for* the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be *substituted*.

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2), —

- (a) in clause (b), *for* the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be *substituted*;
- (b) in clause (c), *for* the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be *substituted:*-

4. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted*.

5. In section 37 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1)—
- (i) *after* the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be *inserted*;
- (ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted:
 - (iii) the first proviso shall be *omitted*;
- (iv) in the second proviso, *for* the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be *substituted*;

Amendment of section 16

Amendment of section 29

Amendment of section 34

Amendment of section 37

- (v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;
 - (b) sub-section (2) shall be *omitted*;
 - (c) in sub-section (3),—
 - (i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;
 - (ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
 - (d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the commendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

6. For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of new section for section 38

Communication of details of inward supplies and input tax credit

"38. (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, with in such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

- (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of-
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
- (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—
 - (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

Amendment of section 39

- 7. In section 39 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (5), *for* the word "twenty", the word "thirteen" shall be *substituted*;
- (b) in sub-section (7), *for* the first proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely: —

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";
 - (c) in sub-section (9), —
 - (i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, *for* the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be *substituted*;
- (d) in sub-section (10), *for* the words "has not been furnished by him", the following shall be *substituted*, namely:—

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified there in, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period."

Substitution of new section for section 41

- 8. For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.
 - (2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

9. Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of sections 42, 43 and 43A Amendment of section 47

- 10. In section 47 of the principal Act, in sub-section (1),
 - (a) the words "or inward" shall be *omitted*;
 - (b) the words and figures "or section 38" shall be *omitted*;
- (c) *after* the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be *inserted*.

11. In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures, Amendment of "the details of inward supplies under section 38" shall be *omitted*.

section 48

12. In section 49 of the principal Act,—

Amendment of

section 49

- (a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be *omitted*:
- (b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;
- (c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".
- 13. In section 50 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

Amendment of section 50

- "(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".
- 14. In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

Amendment of section 52

15. In section 54 of the principal Act, —

Amendment of

section 54

- (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;
- (c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;
- (d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. One of the many inconveniences caused to the small and medium tax payers was the complex process of filing return and claiming input tax credit under the Goods and Services Tax laws. In this regard the proposed changes envisages certainty in claims of input tax credit and end of two way communication of input tax credit verification for taxpayers. In order to implement above changes and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act by amending the relevant sections of the said Act.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.



रिजस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (**क**)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुमाग–1

संख्या 420 / 79-वि-1--2023-1(क)-13-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

्र(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के

लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप नाम और 2023 कहा जाएगा। प्रारम्भ
- (2) इस अधिनियम के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

519_RPH_2023_(Goods and Services Tax)-2023 Data-7E

घारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में, धारा 10 में, —

- (क) उप-धारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे;
- (ख) उप--धारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन

- 3-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप-धारा (2) में, -(i) दूसरे परंतुक में, शब्द ''उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की
- (i) दूसरे परंतुक में, शब्द "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द और अंक, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा" रख दिये जायेंगे;
- (ii) तीसरे परतुक में, शब्द "उसके द्वारा" के पश्चात् शब्द "पूर्तिकार को" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 17 में, -

- (क) उप—धारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक " अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात:—
 - " अनुसूची 3 के ,-
 - (i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्यय और
 - (ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहित गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।"; (ख) उप—धारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा,
- अर्थातः –
 "(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;"।

धारा 23 का संशोधन

- 5—मूलं अधिनियम की धारा 23 में, उप—धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थात:—
- "(2) धारा 22 की उप—धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।"

धारा 30 का संशोधन

- 6-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, -
- (क) शब्द ''रहकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से:'', के स्थान पर शब्द ''ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को ''रख दिये जायेंगे;

(ख) परत्क को निकाल दिया जाएगा।

घारा 37 का संशोधन

- 7—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उप—धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—
- "(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप—धारा (1) के अधीन किसी कर अविध के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाए,

किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 39 का संशोधन

- 8-मूल अधिनियम की धारा 39 में, उप-धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-
- "(11) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

9-मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित धारा 44 का संशोधन किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः –

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है। "

10-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (14) के पृश्चात् निम्नलिखित उप-धारा धारा 52 का संशोधन बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:--

''(15) प्रचालक को उप–धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तूत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

11-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उप-धारा (6) में, शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," निकाल दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द ''उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन ज़ैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे ।

13-मूल अधिनियम की धारा 62 में, उप-धारा (2) में, -

धारा 62 का संशोधन

- (क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायेंगे;
- (ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तृत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।"

14-मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:-

"109-इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

धारा 110 तथा 114 का निकाला जाना धारा 117 का संशोधन 15—मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।

16-मूल अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उप—धारा (1) में, शब्द 'राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों' के स्थान पर, शब्द 'राज्य पीठों' रख दिये जायेंगे;

(ख) उप—धारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द ''राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 118 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 118 में, उप—धारा (1) में, खंड (क) में, शब्द ''राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 119 में,— (क) शब्द ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये रे

जाएंगे; (ख) शब्द ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 122 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उप—धारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रिजस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमित देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उप—धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा, ।"

धारा 132 का संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा 132 में, उप-धारा (1) में, -

(क) खंड (छ), (ञ) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (ट)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ)" रख दिये जायेंगे;

(ग) खंड (iii) में, शब्द "जहां" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में" रख दिये जायेंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ञ)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 138 का संशोधन

21-मूल अधिनियम की धारा 138 में.--

(क) उप—धारा (1) में, पहले परंतुक में, —
 (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात:—

"(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था;"

(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात:-

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;"

(iv) खंड (ङ) निकाल दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने",के स्थान पर शब्द" अंतर्विलत कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्विलत कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने" रख दिये जायेंगे।

22—मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

नयी धारा 158क का बढाया जाना

"158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उप—धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थातः —

- (क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;
- (ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;
 - (ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।
- (2) उप—धारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी,—
- (क) उप—धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता, और
- (ख) उप—धारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उप—धारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपन्न में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"
- 23—(1) मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई, 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।
- (2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति

- 24—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश अध्यादेश, 2023 एतदद्वारा निरसित किया जांता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची ॥ की कतिपय गतिविधियों और संव्यवहारों को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् , 2017), जिसे आगे (''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 8 सन, 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन, 2017) में कितपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त

अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सन्न में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन, 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 420(2)/LXXIX-V-1-2023-1(ka)-13-2023 Dated Lucknow, August 21, 2023

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 2023. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act No. 14 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

Act

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as

follows:-Short title and

commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.
- (2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 10,—

Amendment of section 10

- (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;
- (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.
- . 3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—

Amendment of section 16

- (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;
- section 50" shall be *substituted*;

 (ii) in the third proviso, *after* the words "made by him", the words "to the supplier" shall be *inserted*.
 - 4. In section 17 of the principal Act,—

Amendment of section 17

(a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except,---

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";
- (b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or *intended* to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".
- 5.In section 23 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

Amendment of section 23

- "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."
 - 6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—

Amendment of section 30

- (a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;
 - (b) the proviso shall be omitted.
- 7. In section 37 of the principal Act, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

Amendment of section 37

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

8. In section 39 of the principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 39

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period,

even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

Amendment of section 44

- 9. Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

Amendment of section 52

- 10. In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

Amendment of section 54 Amendment of section 56

- 11. In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be *omitted*.
- 12.In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said subsection till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be *substituted*.

Amendment of section 62

- 13.In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—
 - (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;
 - (b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

Amendment of section 109

- 14. For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.
 - 15. Section 110 and 114 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of sections 110 and 114 Amendment of section 117

- 16. In section 117 of the principal Act,—
 - (a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be *substituted*;
 - (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted

17. In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Bench", the words "Principal Bench" shall be substituted.

Amendment of section 118

18. In section 119 of the principal Act,—

Amendment of

- (a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted:
- section 119
- (b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.
- 19. In section 122 of the principal Act, after sub-section (1A), the following subsection shall be inserted, namely:---

Amendment of section 122

- "(1B) Any electronic commerce operator who—
- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."
- 20. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),-

Amendment of section 132

- (a) clauses (g), (j) and (k) shall be *omitted*;
- (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted:
- (c) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, brackets and letter "an offence specified in clause (b)," shall be substituted;
- (d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.
 - 21. In section 138 of the principal Act,—

Amendment of section 138

(a) in sub-section (1), in the first proviso,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

- "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"
 - (ii) clause (b) shall be omitted;
 - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"
 - (iv) clause (e) shall be omitted;
- (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent of the tax involved" shall be substituted.
- 22. After section 158 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

Insertion of new section

158A

- "158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:
- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

519 RPH 2023_(Goods and Services Tax)-2023 Data-7E

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

23. (1) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of U.P.Act 45 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act

Repeal and saving

24. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

U. P. Ordinance по. 14 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) vide the Finance Act, 2023 (Act no. 8 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 31st March, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 14 of 2023) was promulgated by the Governor on 24th July, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५१९ राजपत्र—2023—(१६५९)—५९९ प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ८८ सा० विधायी—2023—(१६६०)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 579 / 79-वि-1—2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2023 कहा जायेगा।
 - (2) यह तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, —

- (क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :--
- (80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;
- (80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;
- (ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :— ''(102क) ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' से,—
 - (i) दांव लगाने;
 - (ii) कैसिनो;
 - (iii) द्यूतक्रीड़ा;
 - (iv) घुड़दौड़;
 - (v) लाटरी; या
 - (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,"

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो।"

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:— ''(117क) ''आभासी डिजिटल आस्ति'' का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है''।

धारा 24 का संशोधन

- 3-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-
 - (क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द ''और'' निकाल दिया जाएगा;
 - (ख) खंड (xi) के पश्चात, निम्निलिखत खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— "(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।

4—मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द ''लाटरी, दांव और द्यूत'' के स्थान पर, शब्द ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' रख दिये जाएंगे ।

अनुसूची 3 का संशोधन

5—इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

संक्रमणकालीन उपबंध

निरसन और व्यावृत्ति

6—(1) उत्तर प्रदेश माल ओर सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमण्डल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कितपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 18 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से, राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 579(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-18-2023

Dated Lucknow, December 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. ACT NO. 19 OF 2023)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 2023.
- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"),
 - (a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:-
- (80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;
- (80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;"
 - (b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-
 - (i) betting;
 - (ii) casinos;
 - (iii) gambling;
 - (iv) horse racing;
 - (v) lottery; or
 - (vi) online money gaming;"
- (c) in clause (105), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

- (d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;".

Amendment of

section 2

790 RPH 2023 (G.S.T.) (Adhiniyam) data 1e

- 3. In section 24 of the principal Act,-
 - (a) in clause (xi), the word "and" ocurring at the end, shall be *omitted*;
 - (b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

- 4. In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, *for* the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be *substituted*.
- 5. The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

Repeal and saving

- 6. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Amendment of section 24

Amendment of Schedule III

Transitory provision

U.P. Ordinance no. 16 of 2023

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to make provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246-A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Act no. 30 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 18th August, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 16 of 2023) was promulgated by the Governor on 30th September, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 790 राजपत्र-2023-(2262)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 141 सा0 विधायी-2023-(2263)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। 790 RPH 2023 (G.S.T.) (Adhiniyam) data 1e



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग₋₁, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या ४९८ / ७१-वि-१—२०२४-१-क-२८-२०२४

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2024) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

धारा 20 का

प्रतिस्थापन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में. धारा 2 में खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा.

(61) ''इनपूट सेवा वितरक'' का तात्पर्य माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से हैं, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से, धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सहित इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;

3—मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

''20—(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के प्रत्यय के वितरण लिए धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, का धारा 24 के खंड (viii)

के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा और ऐसे बीजकों के संबंध में इनप्ट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

- (2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर लगाए गए, राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये उद्ग्रहीत सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर का प्रत्यय सम्मिलित है, जिसका संदत्त उक्त इनपूट सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सूभिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा विहित किया जा सकता है, वितरित करेगा।
- (3) राज्य कर का प्रत्यय, राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में तथा एकीकृत कर, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में ऐसा दस्तावेज जिसमें इनपूट कर प्रत्यय की धनराशि अंतर्विष्ट हो, को जारी किए जाने के लिए इस रीति से वितरित किया जायेगा, जैसा कि विहित हो।"

नई धारा 122 क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

''122क—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है जिसके संबंध में मशीनों विशेष प्रक्रिया के के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा 148 के अधीन माल के अधीन अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन विनिर्माण में उपयोग करता है, वहां वह अध्याय पन्द्रह या इस अध्याय के किसी अन्य की जाने वाली कुछ मशीनों को पंजीकृत उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदत्त या संदेय किसी शास्ति के न कराने पर शास्ति अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन के लिए

एक लाख रुपए धनराशि के बराबर शास्ति का भूगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रिजस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगीः

परंत् यह कि ऐसी मशीन तब अधिहरण नहीं की जाएगी, जहां-

- (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति संदत्त कर दी गयी है: और
- (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण शास्ति के आदेश की संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसार कर दिया गया है।"

निरसन और व्यावृत्ति

- 5-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2024 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। 19 सन् 2024
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2—माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 8 सन् २०२४) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (अधिनियम संख्या १२ सन् २०१७) में कतिपय संशोधन किए गए।

3-उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेत् त्रन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १९ सन् २०२४) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वीक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 498(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-28-2024 Dated Lucknow, December 26, 2024

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act No. 16 of 2024)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Short title and (Amendment) Act, 2024.

commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 2 of U.P. Act no.1 of 2017

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;".

Substitution of section 20

- 3. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "20. (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor

under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

- (2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.
- (3) The credit of State tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.".

Insertion of new section 122A

- 4. After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - " 122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any

Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure

distribution of

credit by Input Service

Distributor

person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, Acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable

by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where,-

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".

Repeal and saving

- 5. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Ordinance no. 19 of 2024

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

- 2. On the recommendation of the GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2024 (Act no. 8 of 2024).
- 3. In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central, Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no.19 of 2024) was promulgated by the Governor on November 14, 2024.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ४०२ राजपत्र-2024-(1089)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १८१ सा० विधायी-2024-(1090)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 492 / 79-वि-1—2024-1-क-31-2024 लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2024)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—(क) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, ^{संक्षिप्त नाम और} 2024 कहा जायेगा ।

(ख) इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न—भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न—भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। धारा 9 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9 में, उपधारा (1) में, शब्द "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात, शब्द "और मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली गैर—विकृत अतिरिक्त तटस्थ मद्यसार या परिशोधित स्पिरिट" बढ़ा दिए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन नयी धारा 11क

का बढाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (5) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिए जाएंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-

साधारण चलन के "11क—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिणामस्वरुप न सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,— लगाए गए या कम लगाए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति

- (क) माल और सेवाओं या दोनों की किसी भी पूर्ति पर राज्य कर उद्ग्रहण के संबंध में (जिसमें उसका उद्ग्रहण न किया जाना सिम्मिलित है), एक चलन साधारणतया प्रचलित थी या है; और
 - (ख) ऐसी पूर्तियाँ दायी थीं, या हैं, -
 - (i) राज्यकर, ऐसे मामलों में जहां उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था, या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या
 - (ii) उससे कहीं अधिक राज्य कर की धनराशि, जो उक्त चलन के अनुसार उदग्रहीत की गयी थी या की जा रही है,

सरकार परिषद की सिफारिश पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि, ऐसी पूर्तियों पर देय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर देय अतिरिक्त राज्य कर, जैसा भी मामला हो, लेकिन उक्त चलन हेतु ही, उन पूर्तियों के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन पर उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या कम उद्ग्रहीत किया गया था या उद्ग्रहीत किया जा रहा है।"

धारा 13 का संशोधन 5-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) में,-

- (i) खंड (ख) में, शब्द ''पूर्तिकर्ता द्वारा'' के स्थान पर, शब्द ''पूर्तिकर्ता द्वारा, ऐसे मामलों में जहां पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है या'' रख दिया जायेगा।
 - (ii) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढा दिया जायेगा, अर्थात:-
 - ''(ग) ऐसे मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है, प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीखः'';
- (iii) प्रथम परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''या खंड (ख)'' के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''या खंड (ग)''बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

- 6—मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई 2017 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:—
- (5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 से संबंधित, माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन नवंबर, 2021 के तीसवें दिन तक दाखिल किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।
- (6) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द हो गया है और उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण किसी भी आदेश, या तो धारा 30 के अधीन या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी भी आदेश के अनुसार किया गया है और जहाँ किसी बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख को उपधारा (4) के अधीन प्रतिबंधित नहीं थी, उक्त व्यक्ति माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, धारा 39 के अधीन विवरणी में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो —

- (i) उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) संबंधित है, के बाद नवंबर के तीसवें दिन तक या सुसंगत वार्षिक विवरणी जो भी पहले हो, दाखिल किया गया है: या
- (ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि, जैसा भी मामला हो, से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है, जो भी पश्चातवर्ती हो।

7—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खंड (झ) में, शब्द और अंक ''धारा 74, 129 और 130'' के स्थान पर शब्द और अंक'' वित्तीय वर्ष 2023—24 तक किसी भी अविध के संबंध में धारा 74'' रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:— धारा 30 का संशोधन

''परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाय।''

10-मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

धारा ३१ का संशोधन

- (क) उपधारा (3) में, खंड (च) में, शब्द "माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में", के पश्चात् शब्द ",ऐसी अविध के भीतर जो विहित की जाय", बढ़ा दिये जायेंगे;
 - (ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

स्पष्टीकरण—खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, पद "ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" के अंतर्गत वह पूर्तिकार सम्मिलित होगा जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकृत है।

11—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा ३५ का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

धारा ३९ का संशोधन

"(3) धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए उस मास के दौरान की गई कटौतियों की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप में और रीति में, तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए:

परंतु यह कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त माह के दौरान कोई कटौती की गई हो या नहीं।"

13—मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (8) में , खंड (ग) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढा दिये जायेंगे।

धारा ४१ का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

धारा 54 का संशोधन

- (क) उपधारा (3) में, दूसरे परन्तुक को निकाल दिया जायेगा ;
- (ख) उपधारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थातः—
- "(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य दर पूर्ति के मालों के सम्बन्ध में उपयोग न किये गए इनपुट कर प्रत्यय या शून्य दर पूर्तिवाले मालों पर अदा किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां ऐसे शून्य दर पूर्तिवाले माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है।"

धारा 61 का संशोधन 17—मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (3) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 62 का संशोधन 18—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन 19—मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन 20—मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन 21—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन 22—मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा 74क'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 70 का संशोधन 23—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किये गए सभी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान सत्य बताएगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेगा, जो अपेक्षित है।"

धारा 73 का संशोधन 24-मूल अधिनियम की धारा 73 में, -

(i) सीमांत शीर्षक में, शब्द "कर का अवधारण" के पूर्व, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii)उपधारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

''(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।''

धारा 74 का संशोधन 25-मूल अधिनियम की धारा 74 में, -

- (i) सीमांत शीर्षक में, शब्द "कर का अवधारण" के पूर्व, शब्द और अंक, "वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित," बढ़ा दिये जायेंगे;
- (ii) उपधारा 11 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

''(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।''

(iii) स्पष्टीकरण 2 को निकाल दिया जायेगा।

नयी धारा 74क का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

वित्तीय वर्ष 2024—25 से तथा आगे किसी भी कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

"74क—(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो वह कर जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या जुटिवश प्रतिदाय किया गया है या कम संदाय किया गया है या जुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, के साथ कर से प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अन्रूफप शास्ति का संदाय करे:

परंतु यह कि यदि वह कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार रुपये से कम है, तो सूचना जारी नहीं की जाएगी ।

- (2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर जारी करेगा।
- (3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है, तो समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालाविधयों से भिन्न के लिए संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।
- (4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (1) से भिन्न ऐसी कर अविधयों के लिए, लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।
- (5) उस मामले में जहाँ किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, शास्ति ,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न कोई अन्य कारण है;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण है;
- (6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा ।
- (7) समुचित अधिकारी उपधारा (6) के अधीन आदेश उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी करेगाः

परंतु यह कि जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से ज्येष्ठ परंतु संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से नीचे का न हो, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा।

- (8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है,कर से प्रभार्य व्यक्ति,—
 - (i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण, तामील नहीं करेगा;
 - (ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।
- (9) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

- (i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चयं के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चिय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना सम्चित अधिकारी को दे सकेगा और सम्चित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगाः
- (ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के साट दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ;
- (iii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ आदेश की संसूचना के साट दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा
- (10) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।
- (11) उपधारा (8) के खेंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।
- (12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 से तथा आगे कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (i) पद "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलत नहीं होंगी;
- (ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है, और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है, तो धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,पद "छिपाना" से तात्पर्य ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता होगा।

27-मूल अधिनियम की धारा 75 में, -

- (क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक ''धारा 74'' के पश्चात शब्द, अंक, अक्षर और कोष्डक"या धारा ७४क की उपधारा (२) और (७)" बढ़ा दिये जायेंगे।
 - (ख) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-
- '(२क) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति देय होगा।

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात:-

- '(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74 क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।";
- (घ) उपधारा (11) में, शब्द और अंक ''धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "या धारा 74क की उपधारा (7)" बढा दिये जायेंगे।
- (ड) उपधारा (12) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढा दिया जायेगा ।
- (च) उपधारा (13) में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढा दिये जायेंगे।

धारा 75 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक ''धारा 74'' कें पश्चात् , शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 104 का संशोधन

29-मूल अधिनियम की धारा 107 में, -

धारा 107 का संशोधन

(क) उपधारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "बीस" रख दिया जाएगाः

(ख) उपधारा (11) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द और अंक ''धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात् शब्द, अंके और अक्षेर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

> धारा 112 का संशोधन

30-मूल अधिनियम की धारा 112 में, -(क) 1 अगस्त, 2024 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1) में, शब्द ''उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से'', के पश्चात् शब्द '';या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिक्रण के समक्ष अपील दायर करने के लिए, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) 1 अगस्त, 2024 की प्रभावी तारीख से, उपधारा (3) में, शब्द ''उस तारीख़ को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है", के पश्चात् शब्द, "या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिक्रण के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए, सरुकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (६) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात तीन मास में एक अपील स्वीकार कर संकेगा", के पश्चात शब्द, कोष्ट्रक और अर्क "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पृश्चात् तीन मास में आवेदन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (८) में, खंड (ख) में,-

(क) अंक और चिन्ह "20%"के स्थान पर अंक और चिन्ह "10%" रख दिया जाएगाः

(ख) अंक और शब्द "50 करोड़ रूपए" के स्थान पर अंक और शब्द "20 करोड़ रूपए" रख दिया जाएगा।

31-मूल अधिनियम की धारा 122 में, 1 अक्टूबर, 2023 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1ख) में, शब्द "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो" के स्थान पर शब्द और अक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के एकत्रीकरण के लिए दायी हैं," रख दिया जाएगा।

धारा 122 का संशोधन

32-मूल अधिनियम की धारा 127 में, शब्द और अंक 'धारा 73 या धारा 74'' के पश्चात शब्द, अँक और अक्षर "या धारा 74क" बढा दिये जायेंगे।

धारा 127 का संशोधन

33-मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-''128क—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकृल बात के होते

नई धारा 128क का बढ़ाया

निश्चित कर अवधि के लिए, धारा 73 के अधीन सुजित मांग से संबंधित ब्याज और या शास्ति या दोनों से छूट

हुए भी, जिंहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा कर की कीई रकम निम्न अनुसार देय है,-

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया विवर्रण, और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा ७३ की उपधारा (९) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा १०७ की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

जो 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि, या उसके एक भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग), में उल्लिखित सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की पूरी रकम का उस तारीख या उससे पहले, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया जा सकता है, भुगतान करता है, तो धारा 50 के तहत ब्याज और इस अधिनियम के तहत शास्ति, देय नहीं होंगा और सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के सबंध में सभी कार्यवाहियों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विहित किया जा सकता है, पूरा हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह कि जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किया गया है, और समुचित अधिकारी द्वारा धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुरूप अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण् या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में एक आदेश पारित किया गया है या पारित करना अपेक्षित है, उक्त सूचना या आदेश इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा,

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध, धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया है या राज्य कर के एक अधिकारी द्वारा धारा 117 की उपधारा (1) या धारा 118 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील फाइल की गई है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही शुरू की गई है, कार्यवाहियों का समापन इस शर्त के अधीन होगा कि, उक्त व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर करेगा:

परंतु यह भी कि जहां ऐसे ब्याज और शास्ति का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात त्रुटिवश प्रतिदाय के कारण व्यक्ति द्वारा देय किसी भी रकम के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निहिंत कोई भी बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील या रिट याचिका, अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है, और उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि को या उससे पहले उक्त व्यक्ति द्वारा वापस नहीं लिया गया है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी रकम का भुगतान किया गया है और उक्त उपधारा के तहत कार्यवाही समाप्त मानी गई है, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के तहत कोई अपील नहीं हो सकेगी।"

धारा 171 का संशोधन 34-मूल अधिनियम की धारा 171 में,-

ें(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

परंतु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकती है, जब से उक्त प्राधिकारी किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामतः उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

र्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षण के लिए अनुरोध" का अर्थ किसी भी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामतः उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के अनुरोध हेतु आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन होगा।":

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किये गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थातः—

'स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राधिकारी'' पद में ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।'।

अनुसूची III का संशोधन 35—मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिये जाएंगे,अर्थात:—

''9—सह—बीमा समझौतों में बीमाकर्ता को लीड बीमाकर्ता और सह—बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए लीड बीमाकर्ता द्वारा सह—बीमाकर्ता को सह—बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की पूर्ण रकम पर लीड बीमाकर्ता केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान करता है।

10—बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी जाने वाली सेवाएँ जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काट लिया जाता है,इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम, इसमें उक्त सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन भी शामिल है, पर केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है।"।

भुगतान किये गये कर या प्रतिवर्तित किये गये इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय नहीं होना 36—भुगतान किए गए सभी कर या प्रतिवर्तित किए गए इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इतना भुगतान नहीं किया गया होता, या प्रतिवर्तित नहीं किया गया होता, यदि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 सभी सारवान् समयों में प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति 37—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), अधिनियमित किया गया है।

जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 15 सन् 2024) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे दिनांक 16 अगस्त, 2024 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 492(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-31-2024 Dated Lucknow, December 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024 (U.P. ACT No. 17 OF 2024)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fifth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2024.

Short title and commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this $\operatorname{\mathsf{Act}}$.

401 RPH 2024 (G.S.T.) (Adhiniyam) data 1e

Amendment of section 9

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 9, in sub-section (1), *after* the words "alcoholic liquor for human consumption", the words "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be *inserted*.

Amendment of section 10

3. In section 10 of the Principal Act, in sub-section (5), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Insertion of new section 11A

4. After section 11 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Power not to recover Goods and Services Tax not levied or shortlevied as a result of general practice "11A. Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—

- (a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and
 - (b) such supplies were, or are, liable to,—
 - (i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or
 - (ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official *Gazette*, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice."

Amendment of section 13

- 5. In section 13 of the Principal Act, in sub-section (3),—
- (i) in clause (b), *for* the words "by the supplier:", the words "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be *substituted*;
 - (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";
 - (iii) in the first proviso, *after* the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be *inserted*.

- 6. In section 16 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, *after* sub-section (4), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—
- "(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.
- (6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,—

- (i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
- (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.".
- 7. In section 17 of the Principal Act, in sub-section (5), in clause (i), *for* the words and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24" shall be *substituted*.

Amendment of section 17

8. In section 21 of the Principal Act, *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 21

9. In section 30 of the Principal Act, in sub-section (2), *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:—

Amendment of section 30

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

10. In section 31 of the Principal Act,—

Amendment of section 31

- (a) in sub-section (3), in clause (f), *after* the words and figure "of section 9 shall", the words ", within the period as may be prescribed," shall be *inserted*;
 - (b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:—
- *'Explanation.*—For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.'.
- 11. In section 35 of the Principal Act, in sub-section (6), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 35

12. In section 39 of the Principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

Amendment of section 39

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

13. In section 49 of the Principal Act, in sub-section (8), in clause (c), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 49

14. In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso, *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 50

15. In section 51 of the Principal Act, in sub-section (7), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 51

16. In section 54 of the Principal Act,—

- (a) in sub-section (3), the second proviso shall be *omitted*;
- (b) *after* sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

Amendment of section 61

17. In section 61 of the Principal Act, in sub-section (3), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 62

18. In section 62 of the Principal Act, in sub-section (1), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 63

19. In section 63 of the Principal Act, *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 64

20.In section 64 of the Principal Act, in sub-section (2), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 65

21.In section 65 of the Principal Act, in sub-section (7), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 66

22. In section 66 of the Principal Act, in sub-section (6), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 70

- 23.In section 70 of the Principal Act, *after* sub-section (1), the following subsection shall be *inserted*, namely:—
- "(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required."

Amendment of section 73

- 24. In section 73 of the Principal Act,—
- (i) in the marginal heading, *after* the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be *inserted*;
- (ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—
- "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.".

- 25. In section 74 of the Principal Act,—
- (i) in the marginal heading, *after* the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be *inserted*;
- (ii) *after* sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.";
 - (iii) the Explanation 2 shall be *omitted*.

26. *After* section 74 of the Principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Insertion of new section 74A

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward

"74A. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

- (2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.
- (3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.
- (4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.
- (5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,—
 - (i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;
 - (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.
- (6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.
- (7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—
 - (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
 - (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;
 - (iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.
- (12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1—For the purposes of this section,—

- (i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2—For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

27. In section 75 of the Principal Act,—

Amendment of section 75

- (a) in sub-section (1), *after* the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be *inserted*;
- (b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 "(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";
 - (c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";
 - (d) in sub-section (11), *after* the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be *inserted*;
 - (e) in sub-section (12), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*;
 - (f) in sub-section (13), *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.
- 28. In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, *after* the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be *inserted*.

Amendment of section 104

29. In section 107 of the Principal Act,—

Amendment of section 107

- (a) in sub-section (6), in clause (b), *for* the word "twenty-five", the word "twenty" shall be *substituted*;
- (b) in sub-section (11), in the second proviso, *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.
- 30. In section 112 of the Principal Act,—

- (a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), *after* the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be *inserted*;
- (b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), *after* the words "from the date on which the said order has been passed", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be *inserted*;
- (c) in sub-section (6), *after* the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be *inserted*;
 - (d) in sub-section (8), in clause (b),—
 - (i) *for* the words "twenty per cent", the words "ten per cent" shall be *substituted*;
 - (ii) *for* the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 122

Amendment of section 127 Insertion of new section 128A

- 31. In section 122 of the Principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), *for* the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be *substituted*.
- 32. In section 127 of the Principal Act, *after* the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be *inserted*.
- 33. After section 128 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.

"128A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,—

- (a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or
- (b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or
- (c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed, pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.
- (3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".
 - 34. In section 171 of the Principal Act,—

Amendment of section 171

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be *inserted*, namely:—

'Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation—For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.';

- (b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and *after* Explanation 1 as so renumbered, the Explanation shall be *inserted*, namely:—
- **Explanation 2**—For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal".'.
- 35. In Schedule III to the Principal Act, *after* paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be *inserted*, namely:—

Amendment of Schedule III

- "9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the Central Tax, State tax, Union territory tax and integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.
- 10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central Tax, State Tax, Union territory tax and integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission."
- 36. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 6 of this Amendment Act been in force at all material times.

No refund of tax paid or input tax credit reversed

Repeal 37. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) and Ordinance, 2024 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 22 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance (No. 2) Act, 2024 (Act no. 15 of 2024), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 16th August, 2024.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 22 of 2024) was promulgated by the Governor on December 10, 2024.

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025

श्रावण 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 149 / 79-वि-1—2025-1-क-8-2025 लखनऊ, 21 अगस्त, 2025

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।
 - (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
 - (क) धारा 2(i) और 6, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;
 - (ख) धारा 2(ii), 2(iii) से 5 और धारा 7 से 14, उस तारीख से प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा २ का संशोधन

- 2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-
- (i) खण्ड (61) में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" रख दिये जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (69) में,-
 - (क) उपखण्ड (ग) में, शब्द "नगरपालिका" के पश्चात् शब्द "निधि" बढ़ा दिया जाएगा;
- (ख) उपखण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थात:-'स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए-
- (क) "स्थानीय निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है।
- (ख) "नगरपालिका निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शूल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है'।
 - (iii) खण्ड (116) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जाएगा, अर्थात:-
- '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" का तात्पर्य धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है और इसके अंतर्गत अंकीय स्टाम्प, अंकीय चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन सम्मिलित है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और हटाने योग्य न हो;'

3-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

4-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,-

- (i) शब्दों "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर शब्द "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रख दिए जाएंगे और तारीख 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे,
- (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

'स्पष्टीकरण 2- खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी संदर्भ का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हमेशा समझा

- 6-मूल अधिनियम की धारा 20 में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से,-
- (i) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) रख दिये जाएंगे;
- (ii) उपधारा (2) में, शब्द, कोष्टक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (४)" रख दिये जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन धारा 13 का संशोधन धारा 17 का संशोधन

धारा 20 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 34 क संशोधन

"परन्तु यह कि पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) ऐसे जमा पत्र के कारण माना जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहां ऐसा प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है; या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

धारा 38 का संशोधन

- (i) उपधारा (1) में, शब्द— ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''विवरण'' रख दिया जाएगा,
 - (ii) उपधारा (2) में,-
- (क) शब्द ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''निर्दिष्ट विवरण'' रख दिये जाएंगे,
 - (ख) खंड (क) में,शब्द ''और'' निकाल दिया जायेगा।
 - (ग) खंड (ख) में,शब्द ''के कारण'' के पश्चात, शब्द ''सहित'' बढ़ा दिया जाएगा,
 - (घ) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढा दिया जाएगा, अर्थात्-
 - "(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।"

9—मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, शब्दों "और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" रख दिये जाएंगे।

धारा 39 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 107 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की स्थिति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

11—मूल अधिनियम की धारा 112 की, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 112 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

12—मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 122ख का जोडा जाना

"122ख—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"

13—मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

नई धारा 148क का बढाया जाना

"148क (1) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकती है,—

(क) माल:

- (ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर कब्जा रखते हैं या उससे व्यवहार करते हैं, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे।
 - (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
- (क) विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाने और उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और पहुंच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाय, एक प्रणाली प्रदान कर सकती है; और
- (ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह विहित कर सकती है, जिसमें उसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है।
 - (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना और ऐसी रीति से एक विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाएंगे;
- (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, ऐसे प्ररूप में और ऐसे रीति से बनाए रखेंगे;
- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अविध और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना सिम्मिलित हैं, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करेंगे;
- (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जैसा कि विहित किया जा सकता है।"

14- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

- (i) पैरा 8 में, खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और तारीख 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- "(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को पूर्ति;";
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक "पैरा 8 के" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क)" बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाये गए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार मंडारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए समन्देशित हैं।"

15—ऐसे समस्त कर की वापसी नहीं की जाएगी जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि इस अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

निरसन और व्यावृत्ति

अनुसूची 3 का संशोधन

> 16—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवत्त थे।

उददेश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017), (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क (1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधान मंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 7 सन, 2025) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (अधिनियम संख्या १२ सन, २०१७) में कतिपय संशोधन किये गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सिम्मिलित करने हेत् उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेत् त्रन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७ सन् २०२५) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 149 (2)/LXXIX-V-1-2025-1-ka-8-2025 Dated Lucknow, August 21, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 2025. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. ACT no. 8 of 2025)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Short title and (Amendment) Act, 2025.

commencement

- (2) Save as otherwise provided in this Act,-
- (a) Section 2 (i) and 6 shall be deemed to have come into force on the Ist day
 - (b) Sections 2(ii), 2 (iii) to 5 and Sections 7 to 14 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 2

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2,-
- (i) in clause (61), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted* with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in clause (69),-
- (a) in sub-clause (c), after the words "management of a municipal", the word "fund" shall be inserted;
 - (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:—
 - 'Explanation—For the purposes of this sub-clause,—
- (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local Self-Government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local Self-Government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.';
 - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of Section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;';

Amendment of Section 12 Amendment of Section 13

- 3. In Section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
- 4. In Section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 17

- 5. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),
- (i) *for* the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and *after* Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be *inserted*, namely:—

Explanation 2—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery".'

- 6. In Section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April,2025,–
 - (i) in sub-section (1), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted*;
 - (ii) in sub-section (2), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be *inserted*.

7. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

Amendment of Section 34

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
 - 8. In Section 38 of the principal Act,—

Amendment of Section 38

- (i) in sub-section (1), *for* the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be *substituted*;
 - (ii) in sub-section (2),-
 - (a) *for* the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be *substituted*;
 - (b) in clause (a), the word "and" shall be *omitted*;
 - (c) in clause (b), *after* the words "by the recipient,", the word "including" shall be *inserted*;
 - (d) *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—
 "(c) such other details as may be prescribed.".
- 9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be *substituted*.

Amendment of Section 39

10. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:–

Amendment of Section 107

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.".

11. In Section 112 of the principal Act, in sub-section (8), the following proviso shall be *inserted*, namely:–

Amendment of Section 112

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant.".

12. After Section 122A of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Insertion of new Section 122B

"122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 148A, Acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher."

Insertion of new Section 148A

- 13. *After* Section 148 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—
 - "148A.(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—
 - (a) the goods;
 - (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
 - (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
 - (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner:
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".
 - 14. In Schedule-III of the principal Act,-
 - (i) in paragraph 8, *after* clause (a), the following clause shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area:":
 - (ii) in Explanation 2, *after* the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (iii) *after* Explanation 2, the following Explanation shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–
- **"Explanation 3**—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005."

Amendment of Schedule-III 15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had Section 14 of this Act been in force at all material times.

Repeal and Saving

16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 7 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2025 (Act no. 7 of 2025).

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 7 of 2025) was promulgated by the Governor on July10, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १३४ राजपत्र—२०२५—(४२१)—५९९ प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) । पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५४ सा० विधायी—२०२२—(४२२)—७०+३३०=४०० प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025

श्रावण 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 149 / 79-वि-1—2025-1-क-8-2025 लखनऊ, 21 अगस्त, 2025

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।
 - (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
 - (क) धारा 2(i) और 6, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;
 - (ख) धारा 2(ii), 2(iii) से 5 और धारा 7 से 14, उस तारीख से प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा २ का संशोधन

- 2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-
- (i) खण्ड (61) में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" रख दिये जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (69) में,-
 - (क) उपखण्ड (ग) में, शब्द "नगरपालिका" के पश्चात् शब्द "निधि" बढ़ा दिया जाएगा;
- (ख) उपखण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थात:-'स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए-
- (क) "स्थानीय निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है।
- (ख) "नगरपालिका निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शूल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से है'।
 - (iii) खण्ड (116) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जाएगा, अर्थात:-
- '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" का तात्पर्य धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है और इसके अंतर्गत अंकीय स्टाम्प, अंकीय चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन सम्मिलित है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और हटाने योग्य न हो;'

3-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

4-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,-

- (i) शब्दों "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर शब्द "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रख दिए जाएंगे और तारीख 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे,
- (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

'स्पष्टीकरण 2- खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी संदर्भ का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हमेशा समझा

- 6-मूल अधिनियम की धारा 20 में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से,-
- (i) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)" या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) रख दिये जाएंगे;
- (ii) उपधारा (2) में, शब्द, कोष्टक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (४)" रख दिये जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन धारा 13 का संशोधन धारा 17 का संशोधन

धारा 20 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 34 क संशोधन

"परन्तु यह कि पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) ऐसे जमा पत्र के कारण माना जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहां ऐसा प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है; या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

धारा 38 का संशोधन

- (i) उपधारा (1) में, शब्द— ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''विवरण'' रख दिया जाएगा,
 - (ii) उपधारा (2) में,-
- (क) शब्द ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''निर्दिष्ट विवरण'' रख दिये जाएंगे,
 - (ख) खंड (क) में,शब्द ''और'' निकाल दिया जायेगा।
 - (ग) खंड (ख) में,शब्द ''के कारण'' के पश्चात, शब्द ''सहित'' बढ़ा दिया जाएगा,
 - (घ) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढा दिया जाएगा, अर्थात्-
 - "(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।"

9—मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, शब्दों "और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" रख दिये जाएंगे।

धारा 39 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 107 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की स्थिति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

11—मूल अधिनियम की धारा 112 की, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 112 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

12—मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 122ख का जोडा जाना

"122ख—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"

13—मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

नई धारा 148क का बढाया जाना

"148क (1) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकती है,—

(क) माल:

- (ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर कब्जा रखते हैं या उससे व्यवहार करते हैं, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे।
 - (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
- (क) विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाने और उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और पहुंच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाय, एक प्रणाली प्रदान कर सकती है; और
- (ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह विहित कर सकती है, जिसमें उसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है।
 - (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना और ऐसी रीति से एक विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाएंगे;
- (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, ऐसे प्ररूप में और ऐसे रीति से बनाए रखेंगे;
- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अविध और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना सिम्मिलित हैं, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करेंगे;
- (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जैसा कि विहित किया जा सकता है।"

14- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

- (i) पैरा 8 में, खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और तारीख 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- "(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को पूर्ति;";
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक "पैरा 8 के" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क)" बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाये गए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार मंडारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए समन्देशित हैं।"

15—ऐसे समस्त कर की वापसी नहीं की जाएगी जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि इस अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

निरसन और व्यावृत्ति

अनुसूची 3 का संशोधन

> 16—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवत्त थे।

उददेश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017), (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क (1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधान मंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 7 सन, 2025) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (अधिनियम संख्या १२ सन, २०१७) में कतिपय संशोधन किये गये।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सिम्मिलित करने हेत् उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेत् त्रन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७ सन् २०२५) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 149 (2)/LXXIX-V-1-2025-1-ka-8-2025 Dated Lucknow, August 21, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 2025. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. ACT no. 8 of 2025)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Short title and (Amendment) Act, 2025.

commencement

- (2) Save as otherwise provided in this Act,-
- (a) Section 2 (i) and 6 shall be deemed to have come into force on the Ist day
 - (b) Sections 2(ii), 2 (iii) to 5 and Sections 7 to 14 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 2

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2,-
- (i) in clause (61), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted* with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in clause (69),-
- (a) in sub-clause (c), after the words "management of a municipal", the word "fund" shall be inserted;
 - (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:—
 - 'Explanation—For the purposes of this sub-clause,—
- (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local Self-Government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local Self-Government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.';
 - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of Section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;';

Amendment of Section 12 Amendment of Section 13

- 3. In Section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
- 4. In Section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of Section 17

- 5. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),
- (i) *for* the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and *after* Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be *inserted*, namely:—

Explanation 2—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery".'

- 6. In Section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April,2025,–
 - (i) in sub-section (1), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted*;
 - (ii) in sub-section (2), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be *inserted*.

7. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

Amendment of Section 34

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
 - 8. In Section 38 of the principal Act,—

Amendment of Section 38

- (i) in sub-section (1), *for* the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be *substituted*;
 - (ii) in sub-section (2),-
 - (a) *for* the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be *substituted*;
 - (b) in clause (a), the word "and" shall be *omitted*;
 - (c) in clause (b), *after* the words "by the recipient,", the word "including" shall be *inserted*;
 - (d) *after* clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely:—
 "(c) such other details as may be prescribed.".
- 9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be *substituted*.

Amendment of Section 39

10. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:–

Amendment of Section 107

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.".

11. In Section 112 of the principal Act, in sub-section (8), the following proviso shall be *inserted*, namely:–

Amendment of Section 112

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant.".

12. After Section 122A of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Insertion of new Section 122B

"122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 148A, Acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher."

Insertion of new Section 148A

- 13. *After* Section 148 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—
 - "148A.(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—
 - (a) the goods;
 - (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
 - (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
 - (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
 - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner:
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".
 - 14. In Schedule-III of the principal Act,-
 - (i) in paragraph 8, *after* clause (a), the following clause shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area:":
 - (ii) in Explanation 2, *after* the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (iii) *after* Explanation 2, the following Explanation shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–
- **"Explanation 3**—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005."

Amendment of Schedule-III 15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had Section 14 of this Act been in force at all material times.

Repeal and Saving

16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 7 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2025 (Act no. 7 of 2025).

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 7 of 2025) was promulgated by the Governor on July10, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १३४ राजपत्र—२०२५—(४२१)—५९९ प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) । पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५४ सा० विधायी—२०२२—(४२२)—७०+३३०=४०० प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।